भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

HD 591017

(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) MoU

Between

विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म कॉलेज, आजाद नगर, कानपुर

और

खाण्डेकर क्रिकेट अकादमी, 11/218, सूटरगंज, कानपुर उत्तर प्रदेश

कानपुर महानगर की प्रतिष्ठित उच्च शैक्षणिक संस्था विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म कॉलेज, कानपुर (आगे कॉलेज कहा जाएगा प्रथम पक्ष एवं खाण्डेकर क्रिकेट अकादमी, 11/218, सूटरगंज, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश – 208001 पंजीकरण संख्या KAP/07087/2018-2019 (आगे अकादमी कहा जाएगा) द्वितीय पक्ष के रूप में अनुबन्ध आज दिनांक 01 जनवरी, 2026 को कानपुर उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित पक्षों के मध्य आपसी सहमति से सम्पन्न किया गया। इसका समन्वय महाविद्यालय के बी0पी0एड0/एम0पी0एड0 विभाग से नामित सदस्य (समन्वयक) द्वारा किया जायेगा। जिसका समन्वय प्रभारी, बी0पी0एड0/एम0पी0एड0 होंगे तथा अकादमी की ओर से अकादमी संचालक, श्री शशिकान्त खंडकर आत्मज एस0जी0 खंडकर, 11/218, सूटरगंज, कानपुर (आधार संख्या – 965002514496) होंगे।

विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म कॉलेज, कानपुर छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर खाण्डेकर क्रिकेट अकादमी क्रिकेट के क्षेत्र में पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करती है। अतः दोनो पक्ष छात्रों के शैक्षणिक एवं खेल कौशल के समन्वित विकास हेतु इस अनुबन्ध में प्रवेश करते हैं।

1. **उद्देश्य –**

- छात्र, छात्राओं के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना एवं खेलों के प्रति जागरूक करना ।
- शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खेलों के बीच संतुलन स्थापित करना।

क्रमश..........2

- कानपुर महानगर व महानगर के आस–पास के क्षेत्र एवं सेवाबस्तियों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रतीकात्मक शुल्क पर उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करना।
- खेलों के माध्यम से अनुशासन, नेतृत्व एवं टीम भावना का विकास करना।
- शहरी, ग्रामीण क्षेत्र व सेवाबस्तियों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना व सहयोग करना।

2. अनुबन्ध की अवधि –

यह अनुबन्ध प्रारंभिक रूप से 05 (पॉच) वर्ष के लिए प्रभावी रहेगा, जिसकी समय–सीमा बरसात के मौसम 25 जून से 15 अगस्त तक को छोड़कर 10 माह प्रभावी रहेगी। उक्त माह में छात्रावास एवं खेल मैदान में किसी भी प्रकार की कोई खेल/खिलाड़ी से सम्बन्धित कोई गतिविधि नहीं की जायेगी तथा नये सत्र में पुनः अनुबन्ध विस्तारित किये जाने हेतु अकादमी व फिजिकल एजुकेशन विभाग से नामित सदस्य व अकादमी संचालक द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विस्तृत समीक्षा आख्या 10 से 15 जनवरी के कार्यदिवसों में प्रस्तुत करनी होगी जिसे मा0 सचिव, प्रबन्ध समिति के सत्यापन के उपरान्त आगे बढ़ाया जायेगा।

3. कॉलेज के दायित्व –

- कॉलेज के खेलो के प्रति अच्छे खिलाड़ियों एवं इच्छुक छात्र एवं छात्राओं को अकादमी में प्रशिक्षण हेतु प्रोत्साहित करना।
- खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले छात्रों को सहयोग देना एवं राष्ट्रीय, राज्य एवं मण्डल स्तर पर आयोजित खेलों में प्रतिभाग कराना।
- आवश्यकतानुसार खेल गतिविधियों हेतु मैदान उपलब्ध कराना।

4. अकादमी के दायित्व –

- उच्च गुणवत्ता का क्रिकेट प्रशिक्षण प्रदान करना।
- योग्य एवं अनुभवी प्रशिक्षक (कोच) की उपलब्धता।
- खिलाड़ियों की फिटनेस, तकनीक एवं प्रदर्शन पर नियमित निगरानी रखना।
- प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का टूर्नामेण्ट एवं प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अवसर देना।
- खेल प्रशिक्षण से संबंधित समस्त संसाधन उपलब्ध कराना।

5. संयुक्त गतिविधियॉ –

- क्रिकेट टूर्नामेंट, कार्यशाला एवं प्रशिक्षण शिविर का संयुक्त आयोजन।
- समय–समय पर प्रदर्शन मूल्यांकन।
- खेल एवं शिक्षा से संबंधित जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन।

6. शुल्क एवं वित्तीय प्रावधान –

- अकादमी को कॉलेज के मैदान का उपयोग करने हेतु शुल्क रू0 25,000.00 प्रतिमाह कॉलेज में जमा करना होगा तथा रसीद प्राप्त करनी होगी।
- अकादमी के द्वारा वाहृय क्रिकेट टूर्नामेंट/खेल अथवा प्रत्येक मैच के पूर्व लिये प्रत्येक बुकिंग की दर की 50 प्रतिशत धनराशि महाविद्यालय के शताब्दी भवन के लेखा कार्यालय जमा करनी होगी तथा कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन/शासन के द्वारा प्रस्तावित मैचों को शनिवार, रविवार को आयोजित नहीं किया जायेगा साथ ही कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन/शासन के द्वारा निर्धारित मैच आयोजन से 02 (दो) दिवस पूर्व लिखित रूप से अनुमति प्राप्त करनी होगी तथा प्रति बुकिंग कुल धनराशि का 50 प्रतिशत शुल्क कॉलेज में जमा करना होगा

साथ ही अकादमी द्वारा ज़ारी बुकिंग रसीद पर विभाग प्रभारी, बी0पी0एड0/एम0पी0एड0 के द्वारा सत्यापन कराया जायेगा।

- अकादमी में प्रवेश लेने वाले कॉलेज, के छात्र एवं छात्राओं से रू0 1500.00 प्रतिमाह तथा पं0 दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय, आजाद नगर एवं बी0एन0एस0डी0 शिक्षा निकेतन इण्टर कॉलेज, बेनाझाबर, कानपुर के छात्र एवं छात्राओं से रू0 1000.00 प्रतिमाह जमा कराना होगा।
- अकादमी में प्रवेश लेने वाले छात्र एवं छात्राओं को यदि कॉलेज के छात्रावास में प्रवेश दिया जाता है तो प्रतिकक्ष 2000.00 प्रतिमाह अकादमी द्वारा कॉलेज को देय होगा तथा 01 (एक) माह का शुल्क अग्रिम के रूप में कॉलेज में जमा करना होगा। निवासरत छात्र से आवंटित कक्ष या सम्पत्ति को कोई क्षति पहुचायी जाती है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अकादमी संचालक का होगा। अकादमी के छात्रों के लिये लाला हरदत्त राय पुरूष छात्रावास में निर्धारित कक्ष ही आवंटित किये जायेंगे।
- अकादमी यह सुनिश्चित करेगी कि कॉलेज के लाला हरदत्त राय पुरूष छात्रावास में आवंटित कक्षों में 02 छात्र प्रति कक्ष में ठहराया जायेगा।
- कॉलेज के लाला हरदत्त राय पुरूष छात्रावास में छात्राओं को ठहराने हेतु 08 कक्ष आवंटित किये जायेंगे।
- विद्युत अपव्यय हेतु सबमीटर लगाना होगा। जलकर, सीवरकर का आंशिक (खेल मैदान) भाग कालेज में जमा कराना होगा।

7. **अनुशासन एवं आचार संहिता –**

- अकादमी में प्रशिक्षणरत छात्र एवं छात्राओं को यू0जी0सी0/शासन, विश्वविद्यालय व कॉलेज द्वारा स्थापित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- कॉलेज के लाला हरदत्त राय पुरूष छात्रावास में स्थापित नियम आदि अकादमी के छात्र एवं छात्राओं पर लागू होंगे। छात्रावास के नियमों का उल्लंघन व अनुशासनहीनता की स्थिति मे संबंधित छात्र के विरूद्ध त्वरित निष्कासन की कार्यवाही की जायेगी।

8. **गोपनीयता –**

- यह कि दोनों पक्ष एक–दूसरे की आंतरिक जानकारी को बिना अनुमति साझा नहीं करेंगे।

9. **अनुबन्ध समाप्ति –**

- यह कि उपरोक्त बिन्दु संख्या 02 के के आधार पर निहित होगी।

10. **विवाद निवारण –**

- किसी भी विवाद की स्थिति में आपसी सहमति से समाधान किया जाएगा। आवश्यक होने पर कानपुर न्यायालय का क्षेत्राधिकार लागू होगा।

11. **संशोधन –**

- इस अनुबन्ध में किसी भी प्रकार का संशोधन दोनो पक्षों की लिखित सहमति से ही मान्य होगा।

प्रथम पक्ष –
प्राचार्य के हस्ताक्षर – Neeru Tandon ....
प्राचार्य का नाम – (प्रो0 नीरू टण्डन)

द्वितीय पक्ष –
अकादमी संचालक के हस्ताक्षर – [signature] ....
प्रतिनिधि का नाम – (शशिकान्त खंडकर)

गवाह – 01

गवाह – 01